न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (पाक्सो एक्ट)

कक्ष संख्या-1, देवरिया।

उपस्थितः राकेश पटेल (एच०जे०एस०)

CNR No. UPDEO10018392021

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या-147/2021

रमाकान्त प्रसाद.....प्रार्थी।

बनाम

राज यादव व अन्य.....प्रतिपक्षी।

07.09.2021

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० प्रस्तुत कर अभियुक्तगण राज यादव तथा जवाहिर यादव के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुख्य रूप से कहा गया है कि तीन साल पूर्व से आवेदक के बगल के गाँव का रहने वाला अभियुक्त राज यादव उसके घर आता जाता था। दिनांक 05.06.2021 को शादी करने के बहाने मेरी लड़की को परिवार की गैर जानकारी में चुपके-चुपके रामपुर कारखाना लेकर भाग गया। रामपुर कारखाना में लड़की को छोड़कर स्वय भाग गया। काफी इन्तजार के बाद जब वह लौटकर नहीं आया तो उसकी लड़की रोते बिल्खते घर आयी और सारी बातों को बतायी यह भी बताया कि राज यादव तीन साल पहले से ही उससे शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाता रहा दो बार गर्भपात भी करा चुका है। इस राज यादव से समय 2 से 3 माह का गर्भ भी है। जब उसकी पुत्री ने इस बार गर्भपात करने से मना कर दिया और शादी करने पर अड़ गयी। उक्त तथ्यों के जानकारी के बाद वादी राज यादव के घर अपने भाई बन्धुओं के साथ गया और सारी बातें बताई तो उसके पिता ने कहा कि मैं और मेरा परिवार सब जानता है। साले चमारिया दरवाजे से भाग जाओ नहीं तो इसका अन्जाम बहुत बुरा होगा। आवेदक बच बचाकर वहाँ से घर आया ।राज यादव ने छल से उसकी पुत्री को धोखे में डालकर अवैध संबंध कायम कर शोषण किया है। घटना में सहभागिता उसके पिता जवाहिर यादव व अन्य परिवार के लोगों का भी है। घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक देवरिया को दिया लेकिन वहाँ से कोई कार्यवाही ही नहीं हुई। अतः थानाध्यक रामपुर कारखाना को आदेशित किया जाये कि वे आवेदक की रपट दर्ज कर मामला को विवेचना कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करें।

सुना तथा पत्रावली एवं थाने से आयी आख्या का अवलोकन किया। थाने की आख्या के अनुसार आवेदक की पुत्री एवं राज यादव लम्बे समय से रिलेशन शिप में रहते थे। आपसी विवाद का मतभेद के कारण अलग हो गये। आवेदक की पुत्री बालिग है। तथाकथित घटना के संबंध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

दिनांक 14.07.2021 को न्यायालय द्वारा दौरान सुनवाई आवेदक अधिवक्ता से पीड़िता के साक्षर/निरक्षर/बालिग/नाबालिग होने के बावत प्रश्न किया गया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा पीड़िता के अनपढ़ होने का तथ्य अभिकथित किया गया था। बालिग/नाबालिग होने के संबंध में कोई तथ्य अभिकथित न किये जाने पर न्यायालय द्वारा पीड़िता के

वयस्क/अवयस्क के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु साक्ष्य/शपथपत्र प्रस्तुत किये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया किन्तु आवेदक की ओर से उक्त आदेश के अनुपालन में कोई साक्ष्य/शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

दिनांक 18.07.2021 को थाने से आख्या प्राप्त हुई आवेदक की ओर से उक्त आख्या के विरूद्ध आपत्ति/शपथ पत्र तथा पीड़िता का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र दाखिल किया गया जिसमें पीड़िता के शिक्षित होने एवं दिनांक 05.06.2021 के तीन वर्ष पूर्व से ही घटना कारित होने का तथ्य अभिकथित किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा तीन वर्ष पूर्व से ही शादी का झाँसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाये जाने का तथ्य अभिकथित किया गया है। किन्तु इस तथ्य का अंकन प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। उक्त तीन वर्ष के दौरान किसी प्राधिकारी को उक्त के बावत सूचना क्यों नहीं दी गयी। पत्रावली पर पीड़िता के पैथोलॉजी एवं अल्ट्रासाउड रिपोर्ट संबंधित डाक्टर/अस्पताल की कोई मुहर नहीं है। आवेदक द्वारा जो स्थानान्तरण प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है। उसमें पीड़िता की जन्मतिथि 01.07.2001 अंकित है। उसके अनुसार दिनांक 05.06.2021 को पीड़िता की आयु 20 वर्ष 11 माह होती है। आवेदक द्वारा पीड़िता के 2-3 माह का गर्भ होने का तथ्य अभिकथित किया गया है। शैक्षिक प्रपत्र के अनुसार गर्भवती होने के समय भी पीड़िता का बालिग होना परीलक्षित हो रहा है। उपरोक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई साक्ष्य/पूर्व वाद का चि०प०रि० पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गर्भवती होने का तिथि पर पीड़िता वयस्क थी। आवेदक द्वारा न केवल प्रार्थना पत्र में बल्कि बहस के दौरान भी तथ्यों को छिपाया गया बल्कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन भी नहीं किया गया । घटना की सूचना थाने पर भी दिए जाने संबंधी कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य न तो स्वभाविक प्रतीत हो रहा है और न ही तर्क संगत । अतः प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध कोई संज्ञेय मामला बनता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः न्यायालय का मत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र दाखिल दफ्तर हो।

ह०/-

दिनांक 07.09.2021

राकेश पटेल

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो)

कक्ष संख्या-1, देवरिया।